


झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक- 15/5/2020

संख्या- 13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-221/रा. विभागीय अधिसूचना
संख्या-13/ नि.वि. (महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-500 नि.वि., दिनांक-19.08.2017
द्वारा महिलाओं के पक्ष में पचास लाख रुपये मूल्य तक के निबंधित विक्रय विलेखों पर प्रदत्त
निबंधन शुल्क से पूर्ण विमुक्त करने संबंधित निर्गत अधिसूचना को इस अधिसूचना द्वारा
वापस लिया जाता है।


2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(कर्मल किशोर) 2020
सरकार के सचिव


ज्ञापांक13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-221/रा. राँची, दिनांक- 15/5/2020

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव 15/5/2020


ज्ञापांक13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-221/रा., राँची, दिनांक- 15/5/2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव 15/5/2020

ज्ञापांक13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-221/रा., राँची, दिनांक- 15/5/2020

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री
के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड,
राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड,
राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, झारखण्ड,
राँची/अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड,
राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अपर समाहर्ता/सभी निबंधन
कार्यालयों के निरीक्षण/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव 15/5/2020